फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री जगन्नाथ**
किस्म मुकदमा :– 53 आरटीएक्ट

विपक्षी :– **श्री शोभाराम**
पत्रावली संख्या :– 296/10
जीसीएमएस नम्बर :– 2010/00039

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 16.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.05.15 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। प्रारम्भिक डिक्री अनुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की हाल जमाबंदी अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि में खातेदार नही होने से प्रारम्भिक डिक्री की पालना किया जाना सम्भव नही है। न्यायालय द्वारा तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत ग्राम जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली की हाल नकल जमाबंदी 2077–80 के खाता संख्या 202 पर दर्ज वादग्रस्त आराजीयात में अंकित खातेदारो का अवलोकन करने से जाहीर आया की खातेदार के रूप में वादी का नाम जमाबंदी में दर्ज नही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि में वादी खातेदार ही नही रहा एवं अपने हक हिस्से का स्थानान्तरण किसी अन्य के पक्ष में कर दिया गया है। ऐसे में वादी को वर्तमान में बंटवाड़ा करवाने का कोई अधिकार नही है। क्योंकि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादी स्वयं द्वारा अपने हक हिस्सो का स्थानान्तरण किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए वादी खातेदार होना आवश्यक है। ऐसे में अब वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नही रहने से इस वाद पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार वाद वादी इसी स्तर पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2025.12.24 17:30:13 IST
Reason: SelfAttested